

बिहार गज़ट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1939 (श0) (सं0 पटना 304) पटना, शुक्रवार, 21 अप्रील 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

21 अप्रील 2017

सं० एल0जी0-01-10/2017/58/लेजः ।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 11, 2017] बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना:- चूँिक, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नियुक्ति के लिए एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन आवश्यक है:

और, चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न दिशानिर्देशों/विनियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है;

अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों/रेगुलेशनों के अनुरूप अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- **1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।** (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
 - (2) यह अधिनियम उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- 2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-2 का संशोधन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 के खंड-(त) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
 - ''(त) 'आयोग' से अभिप्रेत है कि 'बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग'।''
- **3. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57 में संशोधन ।** (1) अधिनियम की धारा-57 की उपधारा (1) का खण्ड (i) विलोपित किया जाएगा।
 - (2) अधिनियम की धारा-57 की उपधारा (1) का खण्ड (iii) का परंतुक विलोपित किया जाएगा।
 - 4. बिहार अधिनियम 23, 1976 में एक नई धारा-58 ख का जोड़ा जाना। -अधिनियम 1976 की धारा-58 के बाद निम्नलिखित नई धारा-58 ख जोड़ी जाएगी :-
- "58 ख- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन राज्य सरकार विश्वविद्यालय शिक्षक की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए एक अलग बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करेगी।"
- 5. व्यावृत्ति। अधिनियम की धारा-2 एवं धारा-57 की उपधारा-(1) के खंड (iii) में संशोधन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या समझी जायेगी और अधिनियम की धारा-57 के प्रतिस्थापन या विलोपन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सरकार के सचिव।

21 अप्रील 2017

सं० एल0जी0-01-10/2017/59/लेजः ।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 11, 2017]

Bihar State University (Amendment) Act, 2017 AN

AN ACT

To amend Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976)

Preamble— Whereas, there shall be a University Service Commission for future appointment to the post of teachers in the Universities and colleges of the Bihar State in conformity with the prescribed standards of University Grant Commission .

And, whereas, it is essential to make appointments to the posts of teachers in the Universities of the State by making the provisions for appointment of teachers in the Bihar State University Act, 1976 in conformity with the provisions laid down in the various guidelines/regulations issued by the University Grants Commission from the time to time.

Hence, it is necessary to amend the Act as per the guidelines/ regulations issued by the University Grants Commission.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty eighth year of the Republic of India as follows:-

- **1. Short title and Commencement.—(1)** This Act may be called The Bihar State University (Amendment) Act, 2017.
- (2) It shall come in to force with effect from the date which the State Government, by notification, may fix.
- **2.** Amendment in Section-2 of Bihar Act, 23, 1976— Clasuse (p) of section 2 of the Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) (hereinafter referred to as to said Act) shall be substituted by the following:-
 - "(p) 'Commission' means 'Bihar State University Service Commission"
- **3. Amendment in section-57 of the Bihar Act 23, 1976.-** (1) Clause (i) of sub section (1) of section-57 shall be deleted.
 - (2) Proviso of clause (iii) of sub section (1) of section-57 of the Act shall be deleted.
- **4. Addition of new section 58 B in the Bihar Act 23, 1976** The following new section-58 B shall be added after-58 of the Act, 1976.
- "58 B. Constitution of Bihar State University Service Commission The State shall constitute a separate Bihar State University Service Commission for making recommendation for the appointment of University teacher."
- **5. Saving** Notwithstanding the amendment made in section-2 and clause (iii) of sub section (1) of section-57 of this Act, anything done or decision or action taken prior to it shall be deemed to have been validly done or taken and shall not be questioned on the ground of amendment.

By order of the Governor of Bihar, SURENDRA PRASAD SHARMA, Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, **ाटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित**।

बिहार गजट (असाधारण) 304-571+400-डी0टी0धी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in